



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Government of Uttar Pradesh; NAAC A++ Accredited; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि./सम्बद्धता/2024/931-44

दिनांक : 06.03.2024

सेवा में,

- 1-समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली।
- 2-समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/प्रबन्धक/सचिव,
समस्त सम्बद्ध-राजकीय/संघटक/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय : मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य हुए एम0ओ0यू0 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के संलग्न पत्रांक : 480/सत्तर-3-2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-722(1)/61-2024, दिनांक 23.02.2024 एवं उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या-365/सत्तर-3-2024, दिनांक 23.02.2024 के द्वारा एम0ओ0यू0 के बिन्दुओं तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 09.01.2024 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है।

अतः कृपया उपर्युक्तानुसार मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक साक्षरता हेतु शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और भारत निर्वाचन आयोग के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या अधोस्ताक्षरी को एवं ई-मेल आई0डी0 : draffiliationmjpru@gmail.com पर शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कि सूचनाओं से समयान्तर्गत शासन को अवगत कराया जा सके।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण।
5. चीफ प्राक्टर।
6. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली-मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
7. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना।
8. कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली।
9. मीडिया प्रभारी।
10. उप-कुलसचिव (परीक्षा)
11. उप-कुलसचिव (प्रशासन)
12. प्रभारी, वेबसाईट।
13. निजी सचिव-कुलपति।

कुलसचिव

D-R
115
06/03/24

महत्वपूर्ण
संख्या-480/सत्तर-3-2024

प्रेषक,

डॉ० अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 04-मार्च, 2024

विषय : मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य हुए एम०ओ०यू० के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-722(1)/61-2024, दिनांक 23.02.2024 एवं उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या-365/सत्तर-3-2024, दिनांक 23.02.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा प्रश्नगत एम०ओ०यू० के बिन्दुओं तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 09.01.2024 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.02.2024 की समस्त अनुलग्नकों सहित प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक साक्षरता हेतु शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और भारत निर्वाचन आयोग के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या प्रकरण में नामित नोडल अधिकारी डॉ० मंजू सिंह, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उ०प्र० शासन एवं उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

DR (Afm)
Dr. Arun Kumar
05/3/24
कुलसचिव

भवदीय,

(डॉ० अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निर्वाचन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री मिश्रा), उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- डॉ० मंजू सिंह, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उ०प्र० शासन/नामित नोडल अधिकारी।
- 5- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

श्री प्रनपित
06.3.24.

आज्ञा से,
(एस०पी० मिश्रा)
उप सचिव।

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

23/2/24

संख्या-722(1)/61-2024

संख्या 4486 / VITP (12) / 2023

निर्वाचन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक: 23 फरवरी, 2024

विषय: भारत निर्वाचन आयोग तथा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के मध्य मतदाता शिक्षा पर दिनांक 02.11.2023 को हुए समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार के अर्द्ध० शा० पत्र संख्या-16-38/2022-U1A, दिनांक 29.11.2023 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम (SVEEP) के अन्तर्गत स्कूल/कॉलेजों में Continuous Electoral and Democracy Education (CEDE) को SVEEP रणनीति के प्रमुख घटक के रूप में उल्लिखित करते हुए स्कूल/कॉलेज के भावी तथा युवा मतदाताओं को निर्वाचक सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया है। सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम को लागू करने के एक भाग के रूप में भावी और नए मतदाताओं के लिए स्कूल/कॉलेज की शिक्षा प्रणाली में मतदाता शिक्षा और निर्वाचक साक्षरता को औपचारिक रूप से सम्मिलित किये जाने के लिए 02 नवंबर, 2023 को शिक्षा मंत्रालय और भारत निर्वाचन आयोग के मध्य एक समझौता ज्ञापन प्रस्तावित किया गया है। समझौता ज्ञापन में सुझाई गई गतिविधियां अनुलग्नक में दी गई हैं। चूंकि 90 प्रतिशत से अधिक छात्र राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकित हैं, अतः सार्थक प्रभाव डालने के लिए प्रस्तावित गतिविधियों का प्रसार राज्य स्तर पर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा के नियामक के रूप में यूजीसी और एआईसीटीई इस मामले पर अलग से निर्देश जारी करेंगे।

2. उपर्युक्त के आलोक में, राज्य सरकार के दायरे में आने वाले राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को देश में लोकतंत्र की भावना को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन में सुझाई गई गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

3. समझौता ज्ञापन के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं :

पाठ्यक्रम ढाँचे में मतदाता शिक्षा एवं चुनावी साक्षरता को उचित रूप से एकीकृत करते हुए महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों के विविध पाठ्यक्रम में समुचित महत्त्व के साथ उसका समय निर्धारित हो।

श्री खीन्द
26/2/2024

वि० क्र० (म)
23/2/24

23/2/24

निजी सचिव,
मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

U-4294/1014/14/14

Ds (SOP) / 50-3

(डॉ० अशोक कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

- कक्षाओं में निर्वाचक-साक्षरता प्रदान करने के लिए शिक्षकों को उन्मुख/प्रशिक्षित किया जाये।
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी) के अवसर पर गहन गतिविधियों आयोजित करें और निर्वाचन की अवधि में छात्राओं/छात्रों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाये।
- नए/भावी मतदाताओं के लिए विद्यालयों/महाविद्यालयों में मतदाता साक्षरता क्लर्बों (ELC) और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एक संस्थागत ढाँचा विकसित किया जाय तथा छात्रों के बीच मतदाता जागरूकता प्रदान करने के लिए अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के साथ उन्हें देश की निर्वाचन व्यवस्था से पूरी तरह परिचित कराया जाय, ताकि उनमें मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने और प्रत्येक निर्वाचन में उत्साह के साथ जागरूक एवं नैतिक तरीके से भाग लेने की इच्छा पैदा हो।

4. कृपया उक्त समझौता ज्ञापन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर समस्त संबंधितों के संज्ञान में लाते हुए अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by दुर्गा
शंकर मिश्र

Date: 22-02-2024 11:56:34

Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)

मुख्य सचिव।

संलग्नक

1. विभिन्न विषयों के लिए उपयुक्त क्रेडिट और घंटों की सीमा तक सभी कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम ढांचे में मतदाता शिक्षा और मतदाता साक्षरता को उचित रूप से एकीकृत करें।
2. कक्षाओं में मतदाता साक्षरता प्रदान करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना।
3. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अज्ञात और समय यूडीआईएसई (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली), उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) और 17 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले छात्रों के अन्य डेटाबेस का उपयोग करने के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाएं। प्रत्येक अर्हता तिथि (प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर) के बाद और मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान (प्रत्येक वर्ष की अंतिम तिमाही में) पात्र और भावी छात्रों के ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से कैलेंडर वर्ष) ईसीआई के मतदाता पंजीकरण पोर्टल और मोबाइल ऐप का उपयोग करना। देश के प्रत्येक छात्र को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के तुरंत बाद मतदाता पहचान पत्र सौंपने के ईसीआई के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करना।
4. नए/भावी मतदाताओं के लिए स्कूलों/कॉलेजों में चुनावी साक्षरता क्लबों (ईएलसी) और छात्रों के बीच मतदाता जागरूकता प्रदान करने के लिए अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए राज्य शिक्षा विभागों के बीच स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए एक संस्थागत ढांचा विकसित करें। फिर उन्हें देश की निर्वाचन प्रणाली से पूरी तरह परिचित कराना और उनमें मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने और हर निर्वाचन में नैतिक तरीके से भाग लेने की इच्छा पैदा करना।
5. ईएलसी गतिविधियों के आयोजन के लिए नोडल शिक्षकों का ऑनलाइन/ ऑफलाइन प्रशिक्षण आयोजित करें और ईएलसी गतिविधियों का नेतृत्व करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में कैंपस एंबेसडर नियुक्त/प्रशिक्षित करें।
6. वयस्क साक्षरता और बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में मतदाता साक्षरता को शामिल करें, जीवन भर सीखने के लिए निर्वाचन प्रक्रियाओं पर शैक्षिक सामग्री विकसित करें और मतदाता साक्षरता को जीवन भर शिक्षा का एक एकीकृत घटक बनाएं।
7. स्कूल/कॉलेज के छात्रों के लिए भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से तैयार की गई मतदाता साक्षरता पर संचार सामग्री का उपयुक्त मीडिया के विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करें।
8. स्कूलों/कॉलेजों में जागरूकता अभियान और सहभागी गतिविधियों आयोजित करना, छात्रों को मतदान करने की शपथ दिलाना, मॉक पोल आयोजित करना। ईवीएम-वीवीपीएटी प्रदर्शन, भारत निर्वाचन आयोग के मोबाइल ऐप्स के बारे में जानकारी, मतदाता शिक्षा और आउटरीच के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करना।
9. राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी) के अवसर पर विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करें और निर्वाचन के दौरान छात्रों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाएँ।
10. Continuous Electoral and Democracy Education (CEDE) में भाग लेने वाले छात्रों के लिए उच्च अध्ययन हेतु क्रेडिट की एक प्रणाली तैयार करें।

11. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में मतदाता साक्षरता कार्यक्रम की नियमित निगरानी करना, ताकि इसके उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। उक्त के अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाय कि जो भी सहयोग प्राप्त किये जा रहे हों वह गैर-राजनीतिक और गैर-पक्षपातपूर्ण हों।
12. प्रारंभिक दिनों से ही नैतिक मतदान की प्रथाओं को विकसित करने और छात्र संघ में स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त नैतिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए जहां भी छात्र निकायों के निर्वाचन होते हैं, वहां कॉलेज/विश्वविद्यालयों में मतदाता साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम शुरू करें।
13. चुनाव के दौरान मतदान केन्द्र के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक स्कूल/कॉलेज भवन में पहुँच सुनिश्चित करते हुए मानक रैप (1:10 ढाल ढलान), पर्याप्त संख्या में अलग-अलग पुरुष और महिला शौचालय और सुलभ शौचालय और समुचित प्रकाश व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।
14. उपर्युक्त गतिविधियों को लागू करें और इसे अपने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों के नियमित कामकाज का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों/कालेजों को आवश्यक निर्देश जारी करें।
15. मामले में की गई कार्रवाई और सीखे गए सबक की रिपोर्ट और दस्तावेजीकरण करें और सफलता की कहानियों को उचित रूप से प्रसारित करें।

(M)